"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 315]   रायपुर, मंगलवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2010—अग्रहायण 16, शक 1932

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 (अग्रहायण 16, 1932)

क्रमांक-12510/वि. स./विधान/2010.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 28 सन् 2010) जो दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 28 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2010

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) को और संशोधन करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहलाएगा.

(2) इसे 24 मार्च, 2009 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा.

धारा 57-क का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57-क की उपधारा (1) में, शब्द "तीन वर्ष तथा छ: माह" के स्थान पर, शब्द "पांच वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए.

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

1. कृषि उपज मण्डी समिति, रायपुर का निर्वाचन अपरिहार्य कारणों से अभी तक नहीं हुआ है. वर्तमान में यहां पर भारसाधक अधिकारी कार्यरत हैं. छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 57 (क) (1) के अनुसार एक समय में एक वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिये जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, मुल्तवी कर सकेगी परन्तु सम्पूर्ण कालावधि कुल मिलाकर तीन वर्ष छ: माह से अधिक नहीं होगी. राज्य शासन ने इस तीन वर्ष छ: माह की अवधि में वृद्धि कर पांच वर्ष किये जाने का निर्णय लिया है. अत: यह आवश्यक है कि कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की उक्त प्रावधान में संशोधन कर पांच वर्ष किया जावे.

कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 57 (क) (1) में उक्त संशोधन भूतलक्षी प्रभाव अर्थात् 24 मार्च, 2009 से किये जाने हेतु विधेयक विधान सभा में पुर:स्थापित किया जाना आवश्यक है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर

दिनांक 4 दिसम्बर, 2010

चन्द्रशेखर साहू
कृषि मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57-क की उपधारा (1) का सुसंगत उद्धरण

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 57-क निर्वाचनों को मुल्तवी करने की राज्य सरकार की शक्ति

(1) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण ऐसा करना आवश्यक हो गया है, तो राज्य सरकार इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समय-समय पर अधिसूचना द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट किये जाने वाले कारणों से, धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन किसी मण्डी समिति के सदस्यों के निर्वाचन को एक समय में एक वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिये जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, मुल्तवी कर सकेगी परन्तु सम्पूर्ण कालावधि कुल मिलाकर तीन वर्ष छः माह से अधिक नहीं होगी.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.